जन कल्याण योजनाएँ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

Himachal Pradesh

Department of Health and Family Welfare

जननी

सुरक्षा योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

जननी सुरक्षा योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है|

3. पात्रता

बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार की गर्भवती महिलाएं ।

4. आवेदन की प्रक्रिया

सरकारी अस्पताल में पंजीकरण के समय आवेदन की प्रति प्राप्त की जा सकती है

जननी सुरक्षा योजना

5. वांछित दस्तावेज़

बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तथा बैंक अकाउंट नंबर, आरसीएच नंबर ।

6. सहायता का ब्यौरा

संस्थागत प्रसव के उपरान्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार की महिलाओं को रु० 1100, और बी॰ पी॰ एल॰ परिवार से संबन्धित महिलाओं को घर पर प्रसव के लिए रु॰ 500 देने का प्रावधान है ।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

संस्थागत प्रसव करवाने पर सरकारी अस्पताल और घर पर प्रसव करवाने पर उस क्षेत्र की ए.एन.एम. को आवेदन जमा ।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इस में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार शिशुओं को सभी प्रकार के खर्चों से मुक्त रखा गया है।

3. पात्रता

गर्भवती महिलाएं और 1 वर्ष तक के शिशु

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में दी जाती है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

5. वांछित दस्तावेज़

कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

6. सहायता का ब्यौरा

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं : प्रसव, शल्य चिकित्सा, खून का प्रावधान, परीक्षण, दवाईया, भोजन, एक संस्थान से दूसरे उच्च संस्थान के लिए रेफर करना।

जन्म से ले कर 1 वर्ष तक की आयु के बच्चो को निम्नलिखित सुविधायें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं : परीक्षण, उपचार, दवाईया, शल्य चिकित्सा, खून का प्रावधान, एक संस्थान से दूसरे उच्च संस्थान के लिए रेफर करना।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सभी सरकारी अस्पताल।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और उनका उपचार करना।

3. पात्रता

गर्भवती महिलाएं

4. आवेदन की प्रक्रिया

यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है |

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

5. वांछित दस्तावेज़

गर्भवती महिला का एम.सी.पी. कार्ड परन्तु यह अनिवार्य नहीं है।

6. सहायता का ब्यौरा

इस अभियान के अन्तर्गत हर माह की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान नि:शुल्क परीक्षण किया जाता है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का पता लगाया जा सके और समय रहते उन का उपचार किया जा सके।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

चयनित सरकारी अस्पताल

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

प्रदेश में सभी मरीज जो अपना ईलाज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों मे करवा रहे है, अधिकतम 410 तरह की निशुल्क दवाइयों एवम उपभोज्य करवाया ताकि सबका इलाज मुफ्त मे एवं सही तरीके से हो सके और किसी को भी धन के अभाव से वंचित न रहना पड़े।

3. पात्रता

कोई भी मरीज़, जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से अपना इलाज करवाते है। इस के लिए आय, आयु, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता इत्यादि को कोई पात्रता नही रखी गयी है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवाई योजना

4. आवेदन की प्रक्रिया

वाहय एवं आंतरिक रोगी दस्तावेज जिसमे इलाज़ करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो। किसी भी वेब साइट पर नही है। लेकिन रजिस्टरशन पंजीकरण केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है।

5. वांछित दस्तावेज़

चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित दस्तावेज

6. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित अस्पताल का फार्मेसी जहाँ दवाइयां एवम उपभोज्य उपलब्ध हो |

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण में सफलता से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी व सुधार करने में योगदान।

3. पात्रता

6 माह से 18 साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाएं

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव

5. वांछित दस्तावेज़

कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

6. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सभी सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पताल।

7. आयु सीमा

एक से अठारह वर्ष के बीच।

पोषण पुनर्वास केंद्र

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

पोषण पुनर्वास केंद्र

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

शिशु मृत्यु दर को कम करने व पोषण में सुधार हेतु।

3. पात्रता

3 माह से 16 साल तक के बच्चे

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

पोषण पुनर्वास केंद्र

5. वांछित दस्तावेज़

कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

6. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सभी सरकारी अस्पताल।

7. आयु सीमा

एक से सोलह वर्ष के बीच।

Sick Newborn Care Unit

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

Sick Newborn Care Unit

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

शिशु मृत्यु दर को कम करने व रोगों की संख्या में कमी हेतु 13 स्वास्थय संस्थानों में मुफ्त ईलाज।

3. पात्रता

1 माह तथा उस से कम उम्र के सभी शिशु

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

Sick Newborn Care Unit

5. वांछित दस्तावेज़

कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

6. सहायता का ब्यौरा

निम्नलिखित स्वास्थय संस्थानों में एस एन सी यू स्थापित किये गए हैं:-
जिला अस्पताल बिलासपुर, जिला अस्पताल चंबा, जिला अस्पताल हमीरपुर, टांडा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल कुल्लू, जिला अस्पताल मंडी, सिविल अस्पताल सुंदर नगर 8. सिविल हॉस्पिटल एमजीएमएससी खानरी, शिमला, मेडिकल कॉलेज कमला नेहरू अस्पताल शिमला, मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला, सिविल हॉस्पिटल पोंटा साहिब, जिला सिर्मौर, जिला अस्पताल सोलन, जिला अस्पताल ऊना
इन एससीएनयू में उच्च जोखिम नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सभी सरकारी अस्पताल।

सार्वभौमिक टीकाकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

सार्वभौमिक टीकाकरण

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

शिशु मृत्यु दर को कम करने व रोगों की संख्या में कमी हेतु सभी स्वास्थय संस्थानों में मुफ्त टीकाकरण।

3. पात्रता

शुन्य से 16 साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाएं

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस कार्यक्रम में आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

सार्वभौमिक टीकाकरण

5. वांछित दस्तावेज़

कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

6. सहायता का ब्यौरा

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के टिके मुफ्त लगाये जातें हैं:- 1. क्षय रोग 2. Measles Rubella, 3. पोलियो, 4. डिप्थीरिया, 5. पर्ट्यूसिस पेंटावेलेंट, 6. टेटनस, 7. हेपेटाइटिस बी, 8. इन्फ्लुएंजा बी, 9. रोटा वायरस, 10. निमोनिया

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सभी स्वास्थय संस्थान।

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक का नियंत्रण और रोकथाम।

3. पात्रता

30 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तथा कोई भी व्यक्ति जो कैंसर रोग से पीड़ित हो ।

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

4. आवेदन की प्रक्रिया

सभी गैर - संचारी रोग जेसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य दीर्घकालीन समस्याओं की निशुल्क जांच के लिए किसी भी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी कैंसर मरीज जिला हस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, धर्मशाला, चम्बा तथा नागरिक अस्पताल रोहरू एवं रामपुर से कीमोथेरेपी की सुविधा प्राप्त कर सकता है।

5. सहायता का ब्यौरा

सभी गैर - संचारी रोग जेसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य दीर्घकालीन समस्याओं की निशुल्क जांच। इसके अतिरिक्त कैंसर के सभी मरीजों के लिए जिला हस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, धर्मशाला, चम्बा तथा नागरिक अस्पताल रोहरू एवं रामपुर में कीमोथेरेपी की सुविधा।

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

6. वांछित दस्तावेज़

कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दर्शाए गए स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क।

8. आयु सीमा

30 वर्ष से 100 वर्ष के बीच

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति में रोगियों को निशुल्क यातायात व प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाना ।

3. पात्रता

इस सुविधा को कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति में हो, प्राप्त कर सकता है ।

4. आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति निशुल्क नंबर “108” पर दूरभाष के द्वारा सम्पर्क कर सकता है ।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

इस सुविधा को कोई भी व्यक्ति जो किडनी रोग से पीड़ित है और जिसे डायलिसिस की आवश्यकता है, प्राप्त कर सकता है।

3. पात्रता

इस सुविधा को कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति में हो, प्राप्त कर सकता है ।

4. संपर्क सूत्र / अधिकारी

डायलिसिस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त दर्शाए गए स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा अधिकारी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

5. आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी बी०पी०एल० तथा हाशिय श्रेणियों (Marginalized Categories) का रोगी जिला हस्पताल बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, सोलन व ऊना में चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। हालाँकि डायलिसिस सेवा का विस्तार जिला हस्पताल हमीरपुर व चम्बा तथा नागरिक हस्पताल नूरपुर, पालमपुर व पोंटा-साहिब में भी किया जा रहा है ।

6. वांछित दस्तावेज़

मरीजों को अपने बी०पी०एल० तथा हाशिय श्रेणि का वेध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

7. सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अन्तर्गत सभी बी०पी०एल० तथा Marginalized Categories के किडनी के रोगियों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रदेश के दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

दूरदराज/दुर्गम क्षेत्रो में टेलीमेडिसिन सेवाएं

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

दुरस्त क्षेत्रो के लोगो को विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य सलाह एवं परामर्श प्रधान करने हेतु टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।

3. पात्रता

कोई भी नागरिक टेली परामर्श द्वारा रोगों के निदान एवं उपचार हेतु इस सेवा का उपयोग कर सकता है।

4. आवेदन की प्रक्रिया

स्वास्थ्य संस्थानों में वाह्य रोगी पर्ची बना कर उपरोक्त सुविधा प्रदान की जा सकती है।

दूरदराज/दुर्गम क्षेत्रो में टेलीमेडिसिन सेवाएं

5. सहायता का ब्यौरा

प्रदेश के 25 स्वास्थ्य संस्थानों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।

6. वांछित दस्तावेज़

वाह्य रोगी पर्ची

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थान जहाँ पर टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध है।

व्यापक काल सेंटर

(104)

MEDICAL HELPLINE

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

व्यापक काल सेंटर (104)

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह एवं परामर्श, किशोरावस्था समस्याओं सम्बन्धी परामर्श एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायत निवारण।

राष्ट्रीय क्षय रोग टी॰ बी॰ नियंत्रण कार्यक्रम

3. पात्रता

सभी नागरिक 104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते है।

4. आवेदन की प्रक्रिया

104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) हेल्पलाइन पर सुविधा प्राप्त करने हेतु डायल करे।

व्यापक काल सेंटर (104)

5. सहायता का ब्यौरा

टोल फ्री नंबर 104 डायल करके कोई भी नागरिक चिकित्सा जानकारी एवं चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकता है। किशोर व किशोरी, किशोरावस्था सम्बन्धी समस्याओं के बारे में परामर्श में परामर्श प्राप्त कर सकते है। कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में सेवा एवं स्वास्थ्य सबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

6. वांछित दस्तावेज़

आवश्यकता नही है।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

104 हेल्पलाइन (टोल फ्री) हेल्पलाइन पर सुविधा प्राप्त करने हेतु डायल करे।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग टी॰ बी॰ नियंत्रण कार्यक्रम

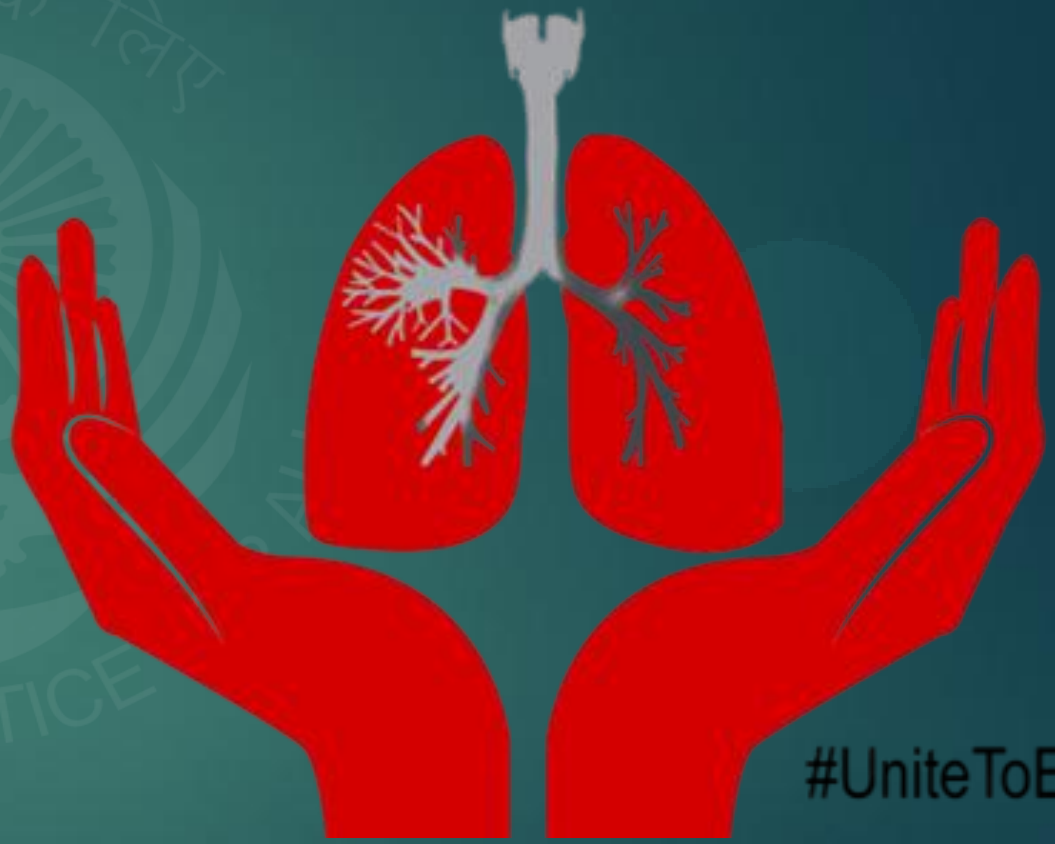

#UniteToEndTB

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग टी० बी० नियंत्रण कार्यक्रम

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

हर वर्ष, कम से कम 90 % नए क्षय रोगियों का पता लगाना नए रोगियों में उपचार सफलता दर कम से कम 90% और पुराने रोगियों में 85% प्राप्त करना।

3. पात्रता

पंजीकृत टी० बी० मरीज व सभी मरीज जिनको टी० बी० के लक्ष्ण हो।

4. आवेदन की प्रक्रिया

मरीज जहाँ पर पंजीकृत होता है वही पर सारी प्रक्रीयाए पूरी की जाती है। अधिक जानकारी राष्ट्रीय स्बास्थ्य मिशन की वैब-साइट से डाउनलोड की जा सकती है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग टी० बी० नियंत्रण कार्यक्रम

5. सहायता का ब्यौरा

टी० बी० का निदान व टी० बी० दबाईया मुफ्त देना। पंजीकृत टी० बी० व एम० डी० आर० टी० बी० मरीजो को हर महीने 500 रुपये पोषण सहायता के लिए इलाज के दोरान दिया जाता है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों माइक्रोस्कोपी केन्द्रों में मुफ्त जांच की सुबिधा उपलब्ध है। एमडीआर टी० बी० के निदान के लिए प्रदेश के चौदह स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक सी० वी० नाट० मशीने लगाई गई है।

6. वांछित दस्तावेज़

आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

जहाँ से इलाज शुरू होता है मरीज की सारी जानकारी वही पर देनी होती है।

मुस्कान परियोजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

मुस्कान परियोजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

केंद्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

इस परियोजना के अन्तर्गत 65 वर्ष व 65 वर्ष से अधिक उम्र और बी० पी ० एल० परिवार के लोगों को मुफ्त कृत्रिम दांत लगाये जाते है और शेष लोगों को आर० के० एस० के० दर पर कृत्रिम दांत लगाये जाते है।

3. पात्रता

65 वर्ष व 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति।

4. आवेदन की प्रक्रिया

74 चिकित्सालय में जहाँ–जहाँ दन्त यांत्रिक मौजूद है, वंहा पर यह परियोजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मुस्कान परियोजना

5. सहायता का ब्यौरा

एक वर्ष में 3,000 और तीन वर्षों में 10,000 लोगों को कृत्रिम दांतलगाने का लक्ष्य निर्धरित किया है।

6. वांछित दस्तावेज़

आयु का प्रमाण पत्र

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अपने-अपने जिले के)

मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

हिमाचल को टी० बी० मुक्त राज्य बनाना। समुदाय में टी० बी० रोग को फैलने से रोकना तथा मुफ्त इलाज व निदान की सुविधा करना।

3. पात्रता

पंजीकृत टी० बी० मरीज व सभी मरीज जिनको टी० बी० के लक्ष्ण हो।

4. आवेदन की प्रक्रिया

74 चिकित्सालय में जहाँ–जहाँ दन्त यांत्रिक मौजूद है, वंहा पर यह परियोजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना

5. सहायता का ब्यौरा

टी० बी० का निदान व टी० बी० दबाईया मुफ्त देना। आशा वर्कर घर घर जा कर टी० बी० के नय मामले खोजेगी। पंचायती राज इंस्टिट्यूट की सहभागिता को बढाना। जागरूकता को बढाना।

6. वांछित दस्तावेज़

आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

जहाँ से इलाज शुरू होता है मरीज की सारी जानकारी वही पर देनी होती है।

FREE HEALTH CAMP

बहुउद्देश्य शल्य चिकित्सा शिविर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

बहुउद्देश्य शल्य चिकित्सा शिविर

1. योजना/स्कीम का संचालन

केन्द्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

ये शिविर दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में लगाये जाते है जहाँ पर कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होती है। प्रत्येक शिविर में 60 प्रमुख शल्य चिकित्सा करना अनिवार्य होता है, जिसमें 20 सामान्य शल्य चिकित्सा, 20 प्रसुती एवं स्त्री रोग शल्य चिकित्सा और 20 आंखों की शल्य चिकित्सा शामिल है।

3. पात्रता

कोई भी व्यक्ति अपनी शल्य चिकित्सा करवा सकता है।

4. वांछित दस्तावेज़

कोई भी प्रमाण पत्र

परिवार नियोजन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

परिवार नियोजन

1. योजना/स्कीम का संचालन

केन्द्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

जनसंख्या नियंत्रिकरण

3. पात्रता

18 से 49 साल

4. आवेदन की प्रक्रिया

किसी भी सरकारी अस्पताल में आवेदन किया जा सकता है।

परिवार नियोजन

5. सहायता का ब्यौरा

पुरुष नसबन्दी रु० 1100/-, स्त्री नलबन्दी रु० 600/- योग्य, पीपीआइयूसीडी/पीएआइयूसीडी रु० 300/- योग्य पात्र, आइयूसीडी रु० 20/- योग्य पात्र, नसबन्दी/नलबन्दी असफल होने पर क्षतिपूर्ति रु० 30000/-

6. वांछित दस्तावेज़

सभी दस्तावेज़ जिनकी मांग संबन्धित अधिकारी अथवा विभाग द्वारा की जाए।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/ एड्स के कारण अनाथों के लिए आर्थिक सहायता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/ एड्स के कारण अनाथों के लिए आर्थिक सहायता

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों/अनाथो को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओ के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता।

3. पात्रता

सभी एच० आई० वी० के साथ जी रहें लोगो के बच्चों व एच० आई० वी० से मृत अनाथ 0-18 वर्ष के बच्चों के लिए

4. आवेदन की प्रक्रिया

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को साधारण कागज पर आवेदन किया जा सकता है।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/ एड्स के कारण अनाथों के लिए आर्थिक सहायता

5. सहायता का ब्यौरा

एच० आई० वी० एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों, अनाथो को शिक्षा एवम् अन्य जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकता के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता योजना वर्ष 2007-2008 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों के बच्चों को आर्थिक सहायता निम्नलिखित विवरण अनुसार दी जा रही हैः- 0-3 वर्ष तक 300/रु प्रतिमाह, 4-6 वर्ष तक 400/रु प्रतिमाह, 7-9 वर्ष तक 500/रु प्रतिमाह, 10-12 वर्ष तक 600/रु प्रतिमाह, 13-15 वर्ष तक 700/रु प्रतिमाह, 16-18 वर्ष, तक 800/रु प्रतिमाह

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के बच्चों/ एड्स के कारण अनाथों के लिए आर्थिक सहायता

6. वांछित दस्तावेज़

1. पिता या माता के एच० आई० वी० से ग्रसित होने का प्रमाण/रिर्पोट यदि बच्चा अनाथ हो तो माता पिता की एड्स से मृत्यु का प्रमाण पत्र। 2. आयु प्रमाण पत्र, यदि बच्चा अनाथ हो तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। 3. हिमाचल के स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र। 4. इस योजना का लाभ सम्बन्धित जिले के निवासी को ही उसके सम्बन्धित जिले में ही प्राप्त होगा। पिता या माता का बैक अकाउट न० का विवरण। अनाथ बच्चो के अभिभावको को लाभार्थी बच्चों के नाम बैक खाता खोलना होगा क्योकि योजना की राशि बच्चों के नाम ही उनके खाते में दी जाएगी।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों उपचार के लिए आने जाने का बस पास/किराया

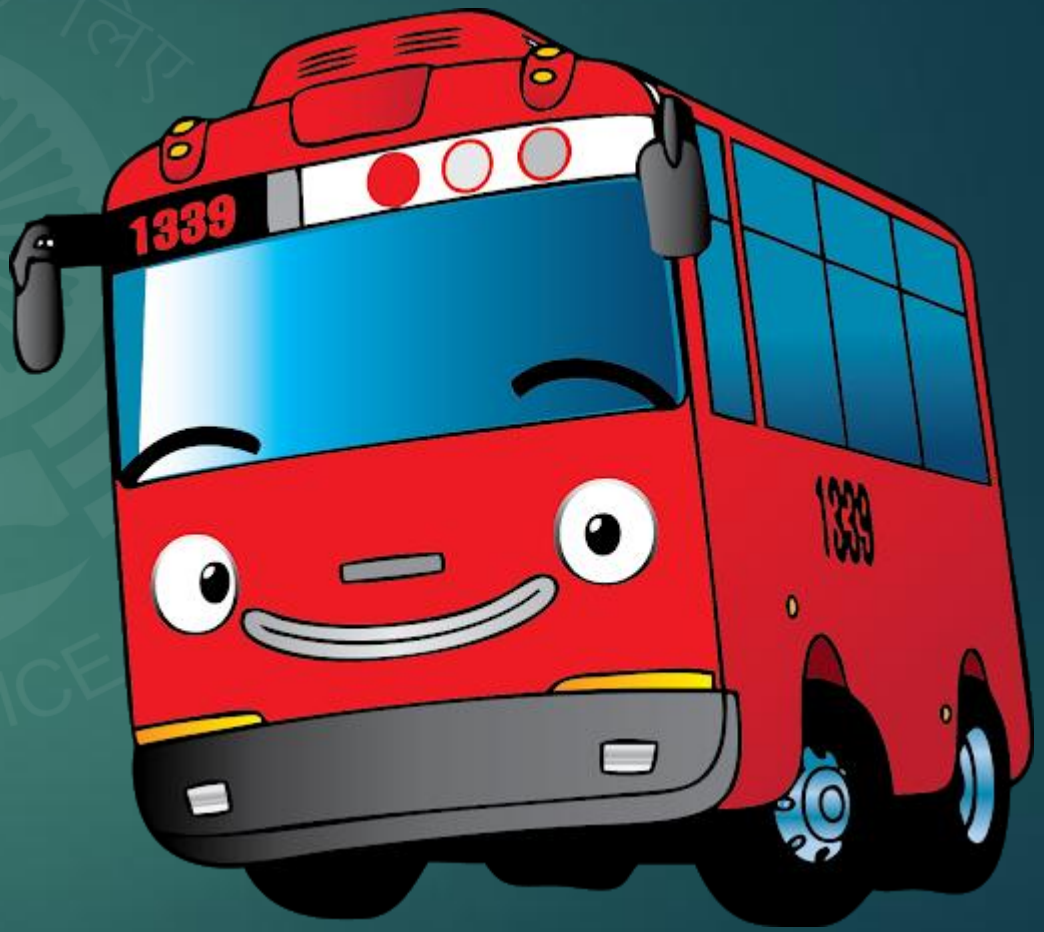

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को एंटिरेट्रोवायरल थैरिपी (ART Centre) में उपचार के लिए आने जाने का बस पास/किराया

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

एच० आई० वी०/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है। एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति इन केन्द्रों में उपचार करवाने के लिए आते हैं, उन्हें और उनके एक सहयोगी को यहाँ उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को एंटिरेट्रोवायरल थैरिपी (ART Centre) में उपचार के लिए आने जाने का बस पास/किराया

3. पात्रता

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति स्वतः ही इस योजना के पात्र होते है।

4. आवेदन की प्रक्रिया

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच० आई० वी०/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति साधारण कागज पर आवेदन कर सकते है।

5. वांछित दस्तावेज़

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिर्वाय है।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को एंटिरेट्रोवायरल थैरिपी (ART Centre) में उपचार के लिए आने जाने का बस पास/किराया

6. सहायता का ब्यौरा

एच० आई० वी०/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों और उनके एक सहयोगी को एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी में उपचार के लिए आने जाने का बस किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। जिससे वह अपने जीवन को लम्बे समय तक जी सकते हैं। यह सहायता प्रदेश में स्थित 6 एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही है, ताकि इन्हें बिना व्यवधान उपचार मिल सके व उपचार सुचारू रूप से किया जा सके।

पोषक आहार सहायता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

पोषक आहार सहायता

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

न्युट्रिषिनल किट स्कीम एच० आई० वी०/एड्स के साथ जी रहे बच्चों के लिए पोषक आहार की उपलब्धता, जिससे वह स्वस्थ जीवन जी सके।

3. पात्रता

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच० आई० वी०/एड्स के साथ जी रहे बच्चें स्वतः ही इस योजना के पात्र होते है।

4. आवेदन की प्रक्रिया

साधारण कागज़ पर आवेदन किया जा सकता है।

पोषक आहार सहायता

5. सहायता का ब्यौरा

न्युट्रिषिनल किट(पंजीर/बिस्कुट) 100 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा को एक साथ एक माह के लिए (ART Centre) के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

6. वांछित दस्तावेज़

एच० आई० वी० से ग्रसित होने का प्रमाण/रिर्पोट व सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिर्वाय है।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

केन्द्र द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

इस योजना का उदेश्य चयनित व्यक्ति को नि:शुल्क इलाज प्रदान करना है। 23 सितम्बर, 2018 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरम्भ किया गया और स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने इसे पूरे प्रदेश मे क्रियान्वित किया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रति परिवार पाँच लाख रुपए तक के नि:शुलक ईलाज का प्रावधान किया गया।

3. पात्रता

2011 की जनगणना के आधार पर कुछ चयनित समूहों (डी 1, डी 2, डी 3, डी 4, डी 5 और डी 7) व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2014-15) के लाभार्थियों को शामिल किया गया है ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

4. आवेदन की प्रक्रिया

लाभार्थी अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर नजदीकी लोक मित्र केंद्र मे जा कर गोल्डन कार्ड बनवा सकता है यदि उसका नाम डाटाबेस मे है। लोक मित्र केंद्र मे कार्ड बनवाने के लिए 30 रुपए का शुल्क देय है।

5. सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार पाँच लाख रुपए तक के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है।

6. वांछित दस्तावेज़

आधार कार्ड, राशन कार्ड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड यदि है तो।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

लोक मित्र केंद्र या पंजीकृत अस्पताल मे जाकर आवेदन किया जा सकता है।

हिमकेयर योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

हिमकेयर योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

इस योजना का उदेश्य चयनित व्यक्ति को नि:शुल्क इलाज प्रदान करना है। सरकार ने जो परिवार आयुष्मान भारत मे कवर नहीं थे, के लिए राज्य मे दिनांक 1 जनवरी, 2019 से हिमकेयर योजना आरम्भ की। हिमकेयर योजना के अन्तर्गत एक परिवार के पाँच सदस्यों तक प्रति वर्ष पाँच लाख रुपए के नि:शुलक ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। यदि उसी परिवार मे सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक होगी तो उस स्थिति मे अगले पाँच सदस्यों तक एक अतिरिक्त कार्ड बनवाकर प्रति वर्ष पाँच लाख रुपए के नि:शुलक ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

3. सहायता का ब्यौरा

प्रति वर्ष प्रति परिवार पाँच लाख रुपए तक के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान है।

हिमकेयर योजना

4. पात्रता

हिमकेयर के अन्तर्गत अलग-अलग श्रेणियों को चयनित किया गया है और प्रीमियम निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है :- ***1.*** गरीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰) (जो कि आयुष्मान भारत मे पंजीकृत नहीं है), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो कि आयुष्मान भारत मे पंजीकृत नहीं है), मनरेगा कार्यकर्ता जिसने पिछले या वर्तमान वितिय वर्ष मे कम से कम 50 दिन कार्य किया है। प्रीमियम शून्य ***2.*** एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष कि आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाए, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत संस्थानो, सोसाएटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अंशकालिक कार्यकर्ता (सरकारी, स्वायत संस्थानो, सोसाएटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अनुबन्ध कर्मचारी (सरकारी, स्वायत संस्थानो, सोसाएटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारी - 365 रुपए प्रति वर्ष, ***3.*** अन्य व्यक्ति जो नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है -1000 रुपए प्रति वर्ष

हिमकेयर योजना

5. आवेदन की प्रक्रिया

नामांकन/पंजीकरण कि प्रक्रिया सरल रखी गयी है और लाभार्थी www.hpsbys.in वैबसाइट पर आधार कार्ड , राशन कार्ड , मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड (नचसंवक) करवा कर नामांकन कर सकता है। यह नामांकन वह स्वंय कर सकता है या लोक मित्र केंद्र/कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी कर सकता है। वह प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर सकता है। लाभार्थी का नामांकन अनुमोदित होने के उपरांत उसके द्वारा दिये गए मोबाइल पर संदेश आता है जिसकी सहायता से वह अपना ई-कार्ड डाउनलोड कर सकता है और प्रिंट कर सकता है। योजना के अंतर्गत लोक मित्र केंद्र/कामन सर्विस सेंटर नामांकन करने और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से 50 रुपए प्रति परिवार एकमित्र करते है और अनुमोदन का संदेश प्राप्त होने के उपरांत लाभार्थी को कार्ड प्रिंट करके देते है। अस्पताल मे भी ई-कार्ड जारी करने का विकल्प है।

हिमकेयर योजना

6. वांछित दस्तावेज़

हिमकेयर के अन्तर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड आवश्यक है और इसके अतिरिक्त श्रेणियों के आधार पर निम्न दस्तावेज अनिवार्य है:- श्रेणी प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ गरीबी रेखा से नीचे (बी॰पी॰एल॰)- पिछले एक महीने के भीतर पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित बी॰पी॰एल॰ प्रमाण पत्र की प्रति। पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी - पिछले एक महीने के भीतर एम॰ सी॰/एन॰पी॰/एन॰ए॰सी॰ के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति। मनरेगा कार्यकर्ता - पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षरित मनरेगा की एम॰आई॰एस॰ रिपोर्ट जिसमे पिछले वितिय वर्ष या वर्तमान वितिय वर्ष मे कम से कम 50 दिनो के कार्य का ब्योरा हो। एकल नारी (इस श्रेणी के अंतर्गत विधवा/तलाक़शुदा/कानूनी रूप से प्रथक/40 वर्ष की आयु से अधिक की अविवाहित महिलाएं पात्र है) - संबधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सी॰डी॰पी॰ओ॰) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग - चिकित्शा दिव्यांग्ता प्रमाण पत्र। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक- आयु वैधता प्रमाण पत्र। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहाइकाएं- संबधित क्षेत्र के बाल विकास

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों को जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओ के लिए राज्य सरकार द्वारा 1500/रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता।

3. पात्रता

एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत एच0आई0वी/ एड्स के साथ जी रहे व्यक्ति स्वतः ही इस योजना के पात्र होते है।

4. आवेदन की प्रक्रिया

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को साधारण कागज पर आवेदन किया जा सकता है।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

5. सहायता का ब्यौरा

एड्स के साथ जी रहें व्यक्तियों को जीवनयापन सम्बन्धित आवश्यकताओ के लिए राज्य सरकार द्वारा 1500/रु प्रतिमाह आर्थिक सहायता।

6. वांछित दस्तावेज़

एच० आई० वी० से ग्रसित होने का प्रमाण/रिर्पोट व सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों में उपचार के लिए पंजीकृत होना अनिर्वाय है।

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्रों (ART Centre)

अटल आर्शिवाद योजना

योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा पहुंचा **38,889**

योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निशुल्क बांटे जा रहे **"बेबी किट"**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

अटल आर्शिवाद योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

बेबी किट नये पैदा हुए बच्चों के जन्म के उपरांत सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों को मुफत मुहैईया करवायी जाएगी ।

3. पात्रता

इस स्कीम के तहत, वह सभी नये पैदा हुए बच्चे जो सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जिनकी प्रसूति हुई है।

4. आवेदन की प्रक्रिया

सरकारी व निजी अस्पतालों में प्रसव करवाने के लिए दाखिला अनिवार्य है

अटल आर्शिवाद योजना

5. सहायता का ब्यौरा

इस स्कीम के अन्तर्गत सभी पैदा हुए नये बच्चों को जिनकी प्रसूति सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों में हुई है को निशुल्क 12 वस्तुएं (items) दी जाती हैं।

6. वांछित दस्तावेज़

एडमिशन कार्ड प्रस्तुत करना - प्रवेश पत्र

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी

सहारा

योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

सहारा योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

इस योजना के अन्तर्गत कुछ एक निर्दिष्ट रोगों जैसे पार्किंसंस, घातक कैंसर रोग, पक्षाघात रोग स्थायी अपंगता लंबे समय के लिए उपचार ले रहा है या बिस्तर ग्रस्त है, पेशी कुपोषण, हेमोफीलिया, थेलेसीमिया, तीव्र या पुरानी गुर्दे की विफलता या कोई अन्य बीमारी जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम करती है पीड़ितों के उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनो को आने वाली वितिय और अन्य समस्याओं से निजात दिलाना है।

3. पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जो एकल परिवार में रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से चार लाख रूपये से कम है।

सहारा योजना

4. आवेदन की प्रक्रिया

अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करना होगा

5. सहायता का ब्यौरा

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जो एकल परिवार में रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से चार लाख रूपये से कम है, उन्हें दो हज़ार रूपये की मासिक वितीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। यह वितीय सहायता लाभार्थी के सीधे खाते में जमा होगी।

6. वांछित दस्तावेज़

अपने बीमारी के दस्ताबेज, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र बैंक खाते की पूर्ण जानकारी व जीवन प्रमाण पत्र

सहारा योजना

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों की मुफ्त जांच व दवाई

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों की मुफ्त जांच व दवाई

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

एच॰ आई॰ वी॰ से पीड़ित लोगों के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी जांच व दवाई जो संस्थान मे उपलब्ध नहीं है इस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा

3. पात्रता

सभी एच॰ आई॰ वी॰ पीड़ित लोग

4. आवेदन की प्रक्रिया

सम्बन्धित ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर जहां पर व्यक्ति पंजीकृत है आवेदन कर सकता है।

एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों की मुफ्त जांच व दवाई

5. सहायता का ब्यौरा

जो भी एच॰ आई॰ वी॰ पीड़ित व्यक्ति ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर मे किसी भी बीमारी के लिए आता है उसे हर जांच व द्वाई मुफ्त मे उपलब्ध कारवाई जाएगी।

6. वांछित दस्तावेज़

ए॰ आर॰ टी॰ सेंटर एनरोलमेंट बुक

7. संपर्क सूत्र / अधिकारी

सम्बन्धित एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी केन्द्र (ART Centre)

बालिका सुरक्षा योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश

बालिका सुरक्षा योजना

1. योजना/स्कीम का संचालन

राज्य द्वारा

2. उद्देश्य एवं विशेषता

बालिका सुरक्षा एवं परिवार नियोजन

3. पात्रता

विवाहित दंपति

4. आवेदन की प्रक्रिया

सहायता के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, संबन्धित महिला/पुरुष कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता से सम्पर्क करें।

बालिका सुरक्षा योजना

5. सहायता का ब्यौरा

एक लड़की के बाद नलबंदी /नसबंदी करवाने पर प्रोत्साहन राशि मु॰ 35,000 व दो लड़कियों के बाद नलबंदी /नसबंदी करवाने पर प्रोत्साहन राशि मु॰ 25,000 पात्र दंपति को देने का प्रावधान है।

6. वांछित दस्तावेज़

आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र व नलबंदी /नसबंदी बारे शपथपत्र आदि।

7. संपर्क सूत्र/अधिकारी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी व संबन्धित महिला /पुरुष कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता।

-: मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें :-

जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

बिलासपुर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर 174001
01978-221452

चंबा
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा 176310
01899-226309

हमीरपुर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर 177001
01972-224399

कांगड़ा
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा 176215
01892-222370

किन्नौर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर 172001
01786-223605

कुल्लू
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू 175101
01902-222378

मंडी
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी 175001
01905-223428

शिमला
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला 171005
0177-2832808

सिरमौर
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर 173001
01702-224749

सोलन
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन 173212
01792-220713

ऊना
सचिव (वरिष्ठ सिविल जज),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना 174303
01975-225071

"जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।"

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

ब्लॉक न० 22, एस०डी०ए० कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009
Phone: 0177 2623862, Toll Free 15100, Email: mslegal-hp@nic.in

-: मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें :-

उप-मंडल विधिक सेवाएँ समितियाँ

बिलासपुर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, बिलासपुर – 174001
01978-224887

घुमारवी

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, घुमारवी – 174021
01978-254080

चंबा

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, चंबा – 176310
01899-226663

डलहौज़ी

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, डलहौज़ी – 176304
01899-242020

टिस्सा

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, टिस्सा – 176316
01896-227004

हमीरपुर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, हमीरपुर – 177001
01972-225560

नादौन

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, नादौन – 177033
01972-233885

बड़सर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, बड़सर – 174305
01972-288055

धर्मशाला

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, धर्मशाला – 176215
01892-222018

"जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।"

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

ब्लॉक न० 22, एस०डी०ए० कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009

Phone: 0177 2623862, Toll Free 15100, Email: mslegal-hp@nic.in

-: मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें :-

उप-मंडल विधिक सेवाएँ समितियाँ

कांगड़ा

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, कांगड़ा – 176001
01892-264808

बैजनाथ

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, बैजनाथ – 176125
01894-262477

जवाली

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, जवाली – 176023
01893-264307

पालमपुर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, पालमपुर – 176061
01894-231614

देहरा

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, देहरा – 177101
01970-233599

नूरपुर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, नूरपुर – 176202
01893-220770

इंदौरा

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, इंदौरा – 176401
01893-241210

रिकोंगपियो

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, रिकोंगपियो – 172107
01786-222988

रामपुर-बुशहर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, रामपुर-बुशहर – 172001
01782-234306

"जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।"

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

ब्लॉक न० 22, एस०डी०ए० कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009

Phone: 0177 2623862, Toll Free 15100, Email: mslegal-hp@nic.in

-: मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें :-

उप-मंडल विधिक सेवाएँ समितियाँ

आन्नी

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, आन्नी – 172026
01904-253561

कुल्लू

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, कुल्लू – 175123
01902-222639

केलंग

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, केलंग – 175101
01902-225130

मनाली

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, मनाली – 175131
01902-254054

बंजार

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, बंजार – 173027
01903-221400

मंडी

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, मंडी – 175001
01905-224048

सुंदरनगर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, सुंदरनगर – 174401
01907-267469

जोगींद्रनगर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, जोगींद्रनगर – 175015
01908-222373

सरकाघाट

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, सरकाघाट – 175024
01905-230101

"जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।"

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

ब्लॉक न० 22, एस०डी०ए० कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009

Phone: 0177 2623862, Toll Free 15100, Email: mslegal-hp@nic.in

-: मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें :-

उप-मंडल विधिक सेवाएँ समितियाँ

गोहर

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, गोहर – 175029
01907-250733

करसोग

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, करसोग – 171304
01907-221173

शिमला

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, शिमला – 171005
0177-2830630

ठियोग

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, ठियोग – 171201
01783-237038

रोहड़ू

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, रोहड़ू – 171207
01781-240072

जुब्बल

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, जुब्बल – 171205
01781-252643

चोपाल

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, चोपाल – 171211
01783-260037

नाहन

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, नाहन – 173001
01702-222002

पौंटा साहिब

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, पौंटा साहिब – 173025
01704-222479

"जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।"

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

ब्लॉक न० 22, एस०डी०ए० कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009

Phone: 0177 2623862, Toll Free 15100, Email: mslegal-hp@nic.in

-: मुफ़्त कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें :-

उप-मंडल विधिक सेवाएँ समितियाँ

राजगढ़

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, राजगढ़ – 173101
01799-220377

शिल्लाई

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, शिल्लाई – 173027
01704-278618

सोलन

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, सोलन – 173212
01792-220553

अर्की

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, अर्की – 173208
01796-220619

कंडाघाट

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, कंडाघाट – 173215
01792-256256

नालागढ़

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, नालागढ़ – 174101
01795-221197

कसौली

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, कसौली – 173204
01792-273711

ऊना

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, ऊना – 174303
01975-223044

अम्ब

अध्यक्ष
उप-मंडल विधिक सेवाएँ समिति, अंब – 177203
01976-262462

"जो वर्षों से पिछड़े हैं, जो न्याय से बिछड़े हैं, उनको न्याय दिलाना है, नया संदेश लाना है।"

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण

ब्लॉक न० 22, एस०डी०ए० कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171009

Phone: 0177 2623862, Toll Free 15100, Email: mslegal-hp@nic.in